

## अनुसूची 4 [ विनियम 5(4) देखें ]

### विशेष अनिवासी रुपया खाता – SNRR Account

- <sup>13</sup> <sup>14</sup> भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, भारत में निवासी व्यक्ति के साथ अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन करने, इस अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली और विनियमावली के अनुसरण में, और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के साथ कोई वास्तविक लेनदेन करने के उद्देश्य से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या भारत के बाहर उसकी शाखा में (जिसमें भारत में आईएफएससी भी शामिल है), विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर खाता) खोल सकता है।
- <sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>17</sup> [\*\*\*]

<sup>13</sup> दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से जोड़ा गया। संशोधन से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: “भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जिसका भारत में कारोबारी हित निहित है, वह रुपये में सदाशयी लेनदेन के उद्देश्य से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन न करते हुए विशेष अनिवासी रुपया खाता (SNRR Account) खोल सकता है। कारोबारी हित में जेनेरिक कारोबारी हित के अलावा भारतीय रुपये के निम्नलिखित लेनदेन शामिल होंगे अर्थात् :-

- समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 तथा दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को अधिसूचना संख्या फेमा.396/2019-आरबी के मार्फत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (कर्ज लिखत) विनियमावली, 2019, इनमें से जो भी लागू हो, के अनुसरण में भारत में किए गए निवेश;
  - दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381(ई) यथा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन), नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-5 के अनुसरण में माल तथा सेवाओं का आयात करना;
  - दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381(ई) यथा समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन), नियमावली, 2000 के साथ पठित तथा समय-समय पर यथा-संशोधित 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.23(आर)/2015-आरबी के साथ भी पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 के अनुसार माल तथा सेवाओं का निर्यात;
  - समय-समय पर यथा-संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2018 के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचे के अंतर्गत व्यापार ऋण के लेनदेन करना तथा उधार देना; और
  - गिफ्ट सिटि में आईएफएससी इकाइयों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के बाहर कारोबार संबंधी लेनदेन, जैसे: आईएफएससी के बाहर भारतीय रुपये में प्रशासनिक व्यय, स्क्रेप की बिक्री से प्राप्त भारतीय रुपये में राशि; भारतीय रुपये में सरकारी प्रोत्साहन राशि, आदि। यह खाता भारत में (आईएफएससी से बाहर) किसी बैंक में रखा जाएगा। “
- <sup>14</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से प्रतिस्थापित गया। प्रतिस्थापना से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, वह इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में, भारत में निवासी व्यक्ति के साथ अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन करने और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन करने के उद्देश्य से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या भारत के बाहर उसकी शाखा में विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर खाता) खोल सकता है।  
स्पष्टीकरण: विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में स्थित इकाई IFSC के बाहर अपने व्यापारिक लेनदेन के उद्देश्य से भारत में (IFSC के बाहर) स्थित किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ SNRR खाता खोल सकती है।”

<sup>15</sup> दिनांक 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(3)/2019-आरबी के माध्यम से संशोधित किया गया। संशोधन से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: “विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाता जिस विशिष्ट कारोबार के लिए परिचालन में रखा जाना हो, उसकी नामावली उसके नाम में शामिल होनी चाहिए”।

<sup>16</sup> दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से जोड़ा गया। संशोधन से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “भारतीय बैंक”<sup>17</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से हटा दिया गया। हटाने से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाता जिस विशिष्ट कारोबार के लिए परिचालन में रखा जाना हो, उसकी नामावली उसके नाम में शामिल होनी चाहिए। बैंक अपने विवेकानुसार लेनदेन की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग एसएनआरआर खाते अथवा लेनदेन की एक से अधिक श्रेणियों में शामिल भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के लिए एक ही एकल एसएनआरआर खाता बनाए रख सकता है, बशर्ते की उक्त बैंक उनकी पहचान कर पाए/ उन्हें अलग कर पाए तथा श्रेणी-वार उसका लेखा रख पाए।”

<sup>17</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से हटा दिया गया। हटाने से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाता जिस विशिष्ट कारोबार के लिए परिचालन में रखा जाना हो, उसकी नामावली उसके नाम में शामिल होनी चाहिए। बैंक अपने विवेकानुसार लेनदेन की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग एसएनआरआर खाते अथवा लेनदेन की एक से अधिक श्रेणियों में शामिल भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के लिए एक ही एकल

3. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते के परिचालन के परिणामस्वरूप खातेधारक द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति को रुपये के बदले अथवा किसी अन्य प्रकार से विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं करेगा।<sup>18</sup>
4. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
5. <sup>19</sup>[\*\*\*]
6. <sup>20</sup>[\*\*\*]
7. <sup>21</sup>[\*\*\*]
8. <sup>22 23</sup>[\*\*\*]
9. <sup>24</sup>भारत में विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते में जमा शेष प्रत्यावर्तन के लिए पात्र होगा।
10. <sup>25</sup>एनआरओ खाते से एसएनआरआर खाते में अंतरण इस अधिसूचना की अनुसूची 3 के अनुसार होगा।
11. <sup>26</sup>भारत में विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से किए गए सभी लेनदेन भारत में लागू करों के भुगतान के अधीन हैं।
12. यदि खाताधारक निवासी बन जाता है तो उसके <sup>27</sup>भारत में विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते को निवासी रुपया खाते में नामित किया जाना चाहिए।
13. <sup>28</sup>मृत खाता धारक <sup>29</sup>जिसका भारत में एसएनआरआर खाता हो के खाते से किसी अनिवासी नामिती को देय/ भुगतान हेतु देय राशि को भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक में नामिती के

एसएनआरआर खाता बनाए रख सकता है, बशर्ते की उक्त बैंक उनकी पहचान कर पाए/ उन्हें अलग कर पाए तथा श्रेणी-वार उसका लेखा रख पाए।”

<sup>18</sup> दिनांक 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(3)/2019-आरबी के माध्यम से संशोधित किया गया। संशोधन से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: “करना चाहिए”<sup>19</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से हटाया गया। हटाने से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “खातेधारक द्वारा प्रस्तावित कारोबार के लिए ही विशिष्ट / प्रासंगिक नामे और जमा विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से करेगा।”

<sup>19</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से हटाया गया। हटाने से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “खातेधारक द्वारा प्रस्तावित कारोबार के लिए ही विशिष्ट / प्रासंगिक नामे और जमा विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से करेगा।”

<sup>20</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से हटाया गया। हटाने से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “प्राधिकृत व्यापारियों यह सुनिश्चित करना होगा कि खातेधारक के परिचालनों के अनुरूप ही खाते में जमा शेष है।”

<sup>21</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से हटाया गया। हटाने से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से सभी परिचालन उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के अनुसार होने चाहिए।”

<sup>22</sup> दिनांक 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(3)/2019-आरबी के माध्यम से संशोधित किया गया। संशोधन से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: “एसएनआरआर खाते की अवधि संविदा की अवधि/ परिचालन की अवधि/ खाताधारक के कारोबार के समवर्ती होगी और किसी भी मामले में वह सात वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिन मामलों में नवीकरण आवश्यक हैं, उनमें रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया जाए :

बशर्ते इस अनुसूची के पैराग्राफ-1 के उप पैराग्राफ (i) से (v) पर दिए गए प्रयोजनों के लिए खोले गए एसएनआरआर खातों पर सात वर्ष का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।”

<sup>23</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से हटाया गया। हटाने से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “एसएनआरआर खाते की अवधि अनुबंध की अवधि/ परिचालन की अवधि/ खाताधारक के व्यवसाय की अवधि की समवर्ती होगी।”

<sup>24</sup> दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से जोड़ा गया।

<sup>25</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से प्रतिस्थापित गया। प्रतिस्थापना से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था “अनिवासी साधारण खाते से विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते में अंतरण पर रोक है।”

<sup>26</sup> दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से जोड़ा गया।

<sup>27</sup> दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से जोड़ा गया।

<sup>28</sup> दिनांक 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(3)/2019-आरबी के माध्यम से संशोधित किया गया। संशोधन से पूर्व, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: “मृत खाताधारक के खाते में अनिवासी नामिती को देय / भुगतान योग्य राशि भारत में प्राधिकृत व्यापारी / प्राधिकृत बैंक के पास नामिती के रखे एनआरओ खाते में जमा की जाएगी”।

एनआरओ/ एनआरई खाते में जमा किया जाएगा अथवा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विप्रेषण के द्वारा भेजा जाएगा।

14. विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते से किए गए लेनदेन समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उसे रिपोर्ट किए जाने चाहिए।
15. पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रिकों और पाकिस्तान और बांग्लादेश में निगमित कंपनियों (संस्थाओं) द्वारा विशेष अनिवासी रुपया (SNRR Account) खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना अपेक्षित होगा।
16. <sup>30</sup>एसएनआरआर खातों से जुड़े भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के बीच लेनदेन, जो अधिनियम या उसके तहत बनाई गई नियमावली और विनियमावली के अनुपालन के अधीन नहीं हो सकते हैं, एडी बैंक द्वारा खाताधारक के निदेश/आदेश के आधार पर किए जाएंगे, जिसमें अंतरण का अंतर्निहित उद्देश्य बताया जाएगा।

---

<sup>29</sup> दिनांक 15 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(5)/2025-आरबी के माध्यम से जोड़ा गया।

<sup>30</sup> दिनांक 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी के माध्यम से जोड़ा गया।